**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1484**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**मादक द्रव्यों की तस्करी से निपटने के लिए कदम उठाना**

**1484. श्री संजय राउतः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के तत्वावधान में विश्व में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और तस्करी की प्रवृत्तियों के संबंध में दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है;**

**(ख) यदि हां, तो मादक द्रव्यों की तस्करी से निपटने के संबंध में हुई चर्चा और देश में बढ़ रहे मादक द्रव्यों की लत को नियंत्रित करने हेतु उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मादक द्रव्यों की तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

(क): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के संबंध में दिनांक 13 और 14 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में “बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक)” वाले देशों का एक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। भारत सहित सभी बिमस्टेक सदस्य देशों यथा श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ख): इस बिमस्टेक सम्मेलन के दौरान चार (04) विषयगत सत्र और एक (01) तकनीकी सत्र आयोजित किए गए तथा सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

* बिमस्टेक क्षेत्र में मादक पदार्थों की समुद्र के रास्ते तस्करी।
* बिमस्टेक क्षेत्र में मैथामफेटामाइन का उत्पादन और तस्करी।
* मादक पदार्थों की तस्करी और डार्क नेट-कोरियर और पोस्टल निषेधादेश।
* स्वापक मादक पदार्थों और मनोःप्रभावी पदार्थों के मिश्रण वाले फार्मास्यूटिकल मादक पदार्थों की तस्करी। मांग कम करना और संबंधित उपाय।

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1484, दिनांक 04.03.2020**

(ग): भारत सरकार ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न उपाय किए और कदम उठाएं हैं:-

* विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया गया था, ताकि मादक पदार्थ संबंधी कानून के प्रभावशाली प्रवर्तन हेतु इन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सके। बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2019 को इस एनसीओआरडी प्रणाली को जिला स्तर तक 4 टियरों में पुनर्गठित किया गया है।
* बड़ी जब्ती वाले मामलों की जांच को मॉनीटर करने के लिए, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है, जिसमें महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।
* गृह मंत्रालय द्वारा पात्र राज्यों को उनकी स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ बनाने के लिए “स्वापक पदार्थ नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता” की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
* भू और समुद्री सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए, देश के दूरस्थ और दूर दराज क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारतीय तटरक्षक को “स्वापक मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस)” के अंतर्गत स्वापक मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
* राज्यों के साथ समन्वय करते हुए सैटेलाइट - इमेज को उपयोग में लाने के पश्चात ऐसी फसल को नष्ट करके इनकी अवैध खेती की समस्या का निराकरण किया जा रहा है।
* अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने एनडीपीएस और रासायनिक उत्प्रेरक की अवैध तस्करी तथा संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के साथ 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15 समझौता ज्ञापनों और सुरक्षा सहयोग के 02 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।
* राष्ट्र-पारीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु एनसीबी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। इन संगठनों में सार्क ड्रग ओफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (एसडीओएमडी), ब्रिक्स, कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बिमस्टेक, यूनाइटेड नेशन्स ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आईएनसीबी) आदि शामिल हैं।

**-3-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1484, दिनांक 04.03.2020**

* एनसीबी प्रचालनात्मक सूचना के लिए अन्य देशों के विभिन्न मादक पदार्थ संपर्क अधिकारियों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका की मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ तालमेल भी करता है।
* मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के बुरे प्रभावों के बारे में आम लोगों/विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने की दृष्टि से एनसीबी प्रतिवर्ष 26 जून को पूरे देश में “अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरूपयोग और अवैध दुर्व्यापार-रोधी दिवस” आयोजित करता है।

\*\*\*\*\*\*\*